11

xke f'k{kk lfefr e b&ic/ku dk ilkj

fnu'k dekj*

भारत सरकार का यह प्रयास है कि सन् 2015 तक देश की प्राथमिक पाठशालाओं को इंटरनेट से जोड़ दिया जाए, विद्यालयी व्यवस्था में ई–प्रबंधन का यह प्रयास यद्यपि चुनौतिपूर्ण है पर यदि इसे सफलतापूर्वक लागू कर दिया जाए तो विद्यालयों में वित्तीय व्यवस्था, अध्यापकों एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के बीच संबंध, ग्राम शिक्षा समिति एवं अभिभावक शिक्षक संघ के बीच यदि सहभागिता एवं सहयोग को अधिक सुचारु किया जा सकता है।

शिक्षा एक सामाजिक और त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जो किसी भी देश के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। जिस देश की शिक्षा पद्धति नवीन आवश्यकताओं, संभावनाओं एवं तकनीकी विचारधाराओं पर आधारित होगी, नि:संदेह वहाँ के लोगों का शैक्षिक स्तर, सामाजिक स्तर, जीवन स्तर ऊपर उठेगा और साथ ही प्रत्येक व्यक्ति की आय भी बढ़ेगी। और किसी भी देश का विकास वहाँ की प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है। अत: आधुनिकता की इस प्रतिस्पर्धा में प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक देश अग्रणी होना चाहता है इसके लिए आवश्यक है कि वह देश अपने सभी नागरिकों को अच्छी और उपयोगी शिक्षा उपलब्ध कराए। इस शिक्षा के कई स्तर हैं। परंतु जिस प्रकार एक मजबूत और टिकाऊ भवन या इमारत के लिए उसका प्रथम स्तर अर्थात् नींव का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार अच्छी और उपयोगी शिक्षा के लिए उसका प्रथम स्तर अर्थात् प्राथमिक शिक्षा का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है, और मजबूत होने का तात्पर्य है कि सुयोग्य अध्यापकों के द्वारा सक्षम, आवश्यक, उपयोगी पाठ्यक्रम उचित प्रक्रियाओं के माध्यम से बालक और बालिकाओं को दिया जाए।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्राचीन काल से भारत में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा था, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय पूरे विश्व में अपनी अमरकीर्ति को लहराते रहे हैं, परंतु यहाँ पर विदेशियों के व्यापारिक एकाधिकार और राजनीतिक स्वामित्व की लालसा ने शिक्षा की जड़ों को हिलाकर रख दिया। इसके बाद विदेशी मिशनरियों द्वारा आधुनिक भारतीय शिक्षा को धर्म के साथ जोड़ कर प्रसारित करने का प्रयास किया गया। 1813 ई. के आज्ञा पत्र

* *शोधछात्र* एवं *अतिथिप्रवक्ता*, शिक्षाशास्त्र विभाग, इ.वि., इलाहाबाद।

के अनुसार कुछ अनुदान भी इसके लिए उपलब्ध करवाया गया, परंतु पूर्वी-पश्चिमी भाषा विवाद का यह प्रयास सफल न हो सका। पुनः सन् 1835 ई. में लार्ड मैकाले के विवरण पत्र के अनुसार लार्ड विलियम बैंटिक ने शिक्षा संबंधी अपनी संशोधित-नीति प्रस्तुत की। परंतु इसमें भी पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान पर ज़ोर और पूर्वी शिक्षा की अवहेलना की जिसके कारण प्राथमिक शिक्षा पर बुरा असर पड़ा। सन् 1854 में वुड के घोषणा-पत्र के अनुसार सभी भारतीय प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई और उनके ऊपर प्राथमिक शिक्षा का भार सौंप दिया गया। साथ ही व्यक्तिगत संस्थाओं को अनुदान प्रदान किया गया। परंतु आंग्ल अधिकारियों द्वारा इसका क्रियान्वयन बहुत ही कम प्रभावी रहा। सर्व प्रथम हंटर आयोग (1882) ने प्राथमिक शिक्षा की ओर विशेष रुचि लेते हुए निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत कीं-

1. प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्यतः उच्च शिक्षा का साधन न मानकर जन साधारण की शिक्षा का एक अंग माना जाए।
2. प्रत्येक जिले में 'विद्यालय बोर्ड' स्थापित किए जाएँ जिनका कार्य स्कूल के प्रबंध पर नियंत्रण रखना हो।
3. देशी स्कूलों को प्रोत्साहित किया जाए।
4. देशी स्कूलों को परीक्षाफलों के आधार पर आर्थिक सहायता दी जाए।
5. शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु राजकीय सहायता और अनुदानित नार्मल स्कूलों की स्थापना की जाए।

इसके उपरांत सन् 1904 का सरकारी प्रस्ताव, सन् 1911 में गोखले का शिक्षा विधेयक (जो 19 मार्च 1911 को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए केंद्रीय धारा-सभा में एक बिल प्रस्तुत किया गया), सन् 1913 का सरकारी प्रस्ताव, सन् 1929 में हर्टाग समिति, सन् 1937 में वुड एबट रिपोर्ट, सन् 1937 में बेसिक शिक्षा (जिसे नई तालीम, बुनियादी शिक्षा या वर्धा-योजना का नाम दिया गया।), सन् 1944 में सार्जेंट योजना, सन् 1964-66 में कोठारी आयोग, सन् 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को सुचारू तथा उपयोगी रूप से चलाने के लिए प्रयास किए गए। साथ ही कोठारी आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकान ने 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की। पाठ्यक्रम सुधार के लिए भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय ने सन् 1973 में एक विशेषज्ञ समिति या पाठ्यक्रम समिति का गठन किया और 1974 में इसका विस्तार किया। इस समिति ने एक दिशा पत्र (Approach Paper) तैयार किया जिस पर दिल्ली में 1975 में आयोजित 'राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सम्मेलन' पर विचार किया गया। तत्पश्चात् राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद् ने 1975 में 'The curriculum for the Ten year school: A frame work' नामक दस्तावेज प्रकाशित किया और 1976 में विभिन्न कक्षाओं के लिए पाठ्यचर्याएँ, पाठ्यपुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री भी तैयारी की, जिसकी आलोचना। अध्यापकों, अभिभावकों और छात्रों द्वारा की गई। तब जनता सरकार ने सन् 1977 में डॉ.

ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसने "दस वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम की समीक्षा करते समय वास्तविकता के सिद्धांत पर विशेष बल दिया, जिसको राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने अनदेखा किया था। पुनः राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के सहयोग से एक समिति बनी जिसने गहन अध्ययन एवं संशोधन के बाद राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा को सन् 1986 में प्रकाशित किया।

इन सभी प्रयासों के क्रियान्वयन के बाद भी जब देश के अनेक बच्चे चाहे विकलांग हों, लड़कियाँ हों, अनुसूचित जाति के हों, अनुसूचित जन जाति के हों, मैदानी क्षेत्र के हों, पर्वतीय या पठारी हों या फिर जंगली क्षेत्र के हों, शिक्षा से वंचित रह जाते थे। ऐसी स्थिति में आपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP) तथा सर्व शिक्षा अभियान जैसे राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया गया। प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इसको सफल बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 'स्कूल चलो अभियान' तथा 'मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम' भी लागू किया गया। फिर भी आज वर्तमान आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में संबंधित अधिकारियों की बड़ी अहम भूमिका होती है। सही और उपयुक्त समय पर अधिकारियों की अनुपलब्धता, उदासीनता, यातायात की समस्या, लिया गया गलत निर्णय, संपर्क एवं संवाद आदि समस्याओं के कारण उपर्युक्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सही दिशा और दशा में नहीं हो पा रहा है। परिणामस्वरुप आज भी बहुत से ऐसे ग्रामीण अंचलों में विद्यालय हैं जहाँ न ही कोई अधिकारी निरीक्षण हेतु पहुँच पाता है, न ही सही समय पर मध्याह्न भोजन हेतु पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो पाती है और न ही सभी छात्र-छात्राओं को शिक्षा से जोड़े रखने की राष्ट्रीय अभिलाषा पूरी होती है। इन सभी समस्याओं के अवलोकन के उपरांत यह एक सुझाव प्रस्तुत किया जा रहा है कि कम-से-कम प्राथमिक शिक्षा स्तर पर संबंधित सभी अधिकारियों को ई-प्रबंधन की सहायता प्रदान की जाए जिसमें ई-मेल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलिक्रोंफ्रेंसिंग, विडियो कांफ्रेंसिंग आदि माध्यमों से एक राष्ट्र स्तर और प्रांतीय स्तर, तथा जिला स्तर एवं विकास खंड स्तर तथा विद्यालय स्तर से संबंधित सभी अधिकारियों को एक साथ सूचना और संचार तकनीकि के संजाल में जोड़ा जाए तो अनेक समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा।

ई-प्रबंधन के अंतर्गत यदि किसी विद्यालय को जिला मुख्यालय से जोड़ दिया जाए और इस प्रकार का संजाल इंटरनेट के माध्यम से होने पर एक जिला मुख्यालय का संपर्क दूसरे जिला मुख्यालय से, दूसरे का तीसरे से और एक विद्यालय से दूसरे, तथा दूसरे का तीसरे से, इस प्रकार का संपर्क स्थापित हो जाने से किस विद्यालय को क्या समस्या है, कौन अधिकारी कब और कहाँ अपनी उदासीनता या गलत निर्णय देकर समस्या उत्पन्न कर रहा है आदि का पता सभी संबंधित अधिकारियों को यथाशीघ्र हो जाएगा

इस एक समस्या के निराकरण के लिए कई योग्य व्यक्ति आगे आएँगे और समस्या का समाधान शीघ्रातिशीघ्र हो जाएगा, और दोषी व्यक्ति को सज़ा भी आसानी से दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय प्रबंधन - जैसे वित्तीय व्यवस्था, अध्यापक एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के बीच संबंध, ग्राम शिक्षा समिति एवं अभिभावक शिक्षक संघ के बीच सहभागिता एवं सहयोग इत्यादि संदर्भों में चल रही गतिविधियों आदि का आसानी से प्रबंधन हो सकेगा। इस तरह समस्याओं से मुक्ति पाकर कार्यक्रमों को सुचारु रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है और कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाया जा सकेगा। तभी हमारा 'सर्व शिक्षा अभियान' का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। इन सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा-

- ई-प्रबंधन को प्रत्येक स्थान पर पहुँचाना होगा।
- ई-प्रबंधन ज्ञान के लिए संबंधित सभी लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करना होगा।
- ई-प्रबंधन की उपलब्धता हेतु भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने होंगे।
- वित्त सुलभ करवाना होगा।
- राजनैतिक सहयोग प्राप्त करना होना।

ई-प्रबंधन को संपूर्ण देश में प्रसारित करना एक कठिन कार्य है क्योंकि संबंधित उपकरण के संचालन हेतु विद्युत आदि की आवश्यकता होगी जो कि ग्रामीण अंचलों के लिए समस्या है। पर्याप्त समय एवं पर्याप्त मात्रा में विद्युत का प्रसारण नहीं हो पाता है। इसके अलावा जितने भी विद्यालय के ग्राम शिक्षा समिति के अधिकारी हैं, से लेकर ज़िला मुख्यालय तक के अधिकारियों को कंप्यूटर चलाने और समझने का प्रशिक्षण प्रदान करना होगा, जिसमें समय और धन तो व्यय होगा, साथ ही प्रशिक्षण अवधि के अंतर्गत दैनिक कार्य (विभाग से संबंधित) भी प्रभावित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होगी वित्तीय-प्रबंधन की। सभी विद्यालयों, विकास खंडों एवं जिला मुख्यालयों तक कंप्यूटर और इंटरनेट उपलब्ध करने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी जिसे राज्य अथवा केंद्र सरकार को अनुदान स्वरूप देना होगा। और इन सबके बाद भी यदि राजनैतिक उदासीनता हाथ लगी तो यह सबसे बड़ी समस्या होगी। यदि कोई राजनेता या स्थानीय नेता इसमें अपना सहयोग देगा, तो यह कार्यक्रम आसानी से चल पड़ेगा परंतु उदासीनता की स्थिति में यह एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। यद्यपि भारत सरकार का यह भी प्रयास है कि "सन् 2015 तक देश की सभी प्राथमिक पाठशालाओं को इंटरनेट से जोड़ दिया जाएगा।" यह बात नवंबर 2005 के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मानव संशाधन एवं विकास मंत्री मानवीय अर्जुन सिंह जी ने कही।

यदि उपरोक्त चुनौतियों का सामना करके इस नई प्रविधि को लागू किया जाए तो नि:संदेह जिन कार्यों को कई अभियानों एवं कार्यक्रमों के माध्यमों से पूरा नहीं किया जा सका, उन्हें ई-प्रबंधन के द्वारा पूरा किया जा सकता है और राष्ट्रीय उद्देश्य का जो सपना कई वर्षों से पूरा नहीं हो सका, देश के सभी बालक-बालिकाओं

को शिक्षा से जोड़कर 'जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम' और 'सर्व शिक्षा अभियान' के लक्ष्यों से नि:संदेह पूरा किया जा सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डा. एस.पी. गुप्ता एवं डा. अलका गुप्ता– आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्याएँ
2. प्रो. मदन मोहन एवं डा. नीता सिन्हा– भारतीय शिक्षा की उदीयमान समस्याएँ
3. डा. प्रतिभा उपाध्याय– भारतीय शिक्षा में उदीयमान प्रवृत्तियाँ
4. डा. आर.ए. शर्मा– शिक्षा के तकनीकी आधार
5. सुरेन्द्र एस. धईया – एजुकेशन टेकनॉलोजी टोवाड्स बेटर टीचर परफोम्स।

❑❑❑